

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 737 / 2023


दिनांक : 01.03.2023

श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर दिनांक 27.01.2023 से 10.02.2023 तक 15 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 11.02.2023 से 12.02.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला, जोधपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 01.03.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/98/1996/1671

दिनांक 01.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 10 दिनांक 13.02.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार आर्य (RJ0274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर जिला, जोधपुर)।


सहायक रजिस्ट्रार